न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/441

गोपाल आयु 42 वर्ष आत्मज देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम चोंसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती विजय लक्ष्मी आयु 31 वर्ष पत्नी निर्मल कुमार जाति मीणा निवासी राजूखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री वीरेन्द्र राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम चौसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 966 की रकबा 2.35 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर अपीलान्ट पैसों की व्यवस्था करने गॉव चला इस प्रकार उक्त अपील विलम्ब से पेश की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट कम 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने स अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व उसके भाई बनवारी लाल के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी । बनवारी लाल का विवाह वर्ष 2004 में रेस्पोडेन्ट कम 1 से हुआ व विवाह के 08 माह बाद वर्ष 2005 में बनवारी लाल लाऔलाद फौत हो गया बनवारी लाल के फौते होने के एक वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट कम 1 ने सामाजिक रीति रिवाज से निर्मल कुमार आत्मज भंवर लाल मीणा से दूसरा नाता विवाह कर लिया जिससे उसके तीन पुत्री व एक पुत्र पैदा हुए और वर्तमान में रेस्पोडेन्ट निर्मल कुमार की पत्नी है व पत्नी के रूप में निवास कर रही है । उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादी अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने रेस्पोडेन्ट कम 2 से मिलीभगत करके बनवारी लाल का इंतकाल नं0 855 से अपने नाम खुलवा कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया जबकि विवादित भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ट कम 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि रेस्पोडेन्ट कम 1 ने बनवारी की मृत्यु होने व इंतकाल अपने नाम खुलवाने के बाद अन्यत्र नाता विवाह कर लिया और उसी के साथ पति पत्नी के रूप में निवास कर रहे हैं । रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना नाम अंकित करवा लिया जिसके आधार पर वह अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट तथा बनवारी लाल के नाम खातेदारी में दर्ज थी । बनवारी लाल की मृत्यु के उपरानत उक्त भूमि बनवारी लाल के स्थान पर प्रतिवादी कम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी । प्रतिवादी कम 1 मृतक बनवारी लाल की पत्नी है और बनवारी लाल की मृत्यु के पश्चात् उसके कोई पुत्र–पुत्री नही होने से रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई । प्रस्तुत प्रकरण में मृतक बनवारी की एक मात्र पत्नी के अलावा कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं थे इसलिए उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 नाम खातेदारी में दर्ज हो गई । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट सम्पूर्ण भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है जो स्वीकार योग्य नहीं है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा